

08/01/24

पत्रावली पेश की गई थी वहील वहील  
अवकाश वहील की ओर से कोर्ट  
अपस्थित नहीं है। बार-बार कापज  
लगवाई गई। बावजूद कापज के  
भी अपस्थित नहीं किया है। अतः वहील  
का वाद अदालत के डफ्टर हाजरी के  
रवायत किया जाता है। पत्रावली को  
सुधार होकर नए रफ्त हो। अपस्थित  
वहील हो।



सहायक वकील  
लालसोट जिला-बीसा (राज०)